

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सं.27(3)(5)पदो/अभि/23/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक (Pay Matrix L-08) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
01.	श्री प्रियंक भावसार पुत्र श्री चन्द्र कांत भावसार	UR	01.04.2023
02.	सुश्री उपमा जोशी पुत्री श्री जगदीश चन्द जोशी	UR	01.04.2023
03.	श्री नितेश परमार पुत्र श्री सुरेश चन्द परमार	UR	01.04.2023
04.	श्री हरीश चन्द कलाल पुत्र श्री रमण लाल कलाल	UR	01.04.2023
05.	सुश्री वेदांगी भाटी पुत्री श्री सोभाग्य सिंह भाटी	UR	01.04.2023

उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है किन्तु पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. संबंधित अधिकारी.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष।
06. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
Document certified by RAVI SHARMA
<shararavijhjs@rajsthan.gov.in>
Digitally Signed by RAVI
SHARMA
Designation: Director
Date :20-09-2024 12:41:11